

# लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच.आई.जी.-64 सेक्टर डी. मानसरोवर कॉलोनी.

कानपुर रोड लखनऊ-226012

फोन नं०- 0522-2435514 फैक्स: 0522-4070404

पत्रांक.....

दिनांक.....

## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता पत्र

गे० जी० एस० आर० विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० का मानचित्र ग्राम.....

..... तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ द्वारा अनुज्ञा पत्र सं०.....

को स्वीकृत किया गया।..... उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण.....

..... द्वारा कर लिया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत

भू-विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण पत्र निम्नांकित प्रतिबंधों के

अधीन जारी किया जाता है:-

प्रतिबंध:

1. योजना के अर्न्तगत किये गये सुविधाओं का रख-रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। योजना ओनर्स एसोशियेशन को हरतगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. अनुज्ञा प्रपत्र की अन्य शर्तों का भी पालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. योजना हेतु एवं पूर्व में अनुमोदित ले-आउट हेत कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती है / निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

(.....)

वरिष्ठ प्रबन्धक ( परि०)

पत्र सं० यू०पी०सी०डा० / सीईओ / मैप / .....

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सहयुक्त नियोजन / टाउन प्लानर को सूचनार्थ।
3. प्रबन्धक ( परि०) लखनऊ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सहायक प्रबन्धक (परि०) लखनऊ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(.....)

वरिष्ठ प्रबन्धक ( परि०)